काशीनाथ खेर एवं अन्य

बनाम

श्री दिनेश कुमार भगत एवं अन्य

2 मई, 1997

[के. रामास्वामी और डी. पी. वाधवा, जे. जे.]

न्यायालय की अवमाननाः

न्यायालय के आदेश का गैर-अनुपालन-अवमानना याचिका-यह आरोप कि दिए गए विशिष्ट निर्देशों के बावजूद, प्रत्यर्थियों ने इस न्यायालय के फैसले को उसकी सही भावना और उद्देश्य में लागू नहीं किया-प्रत्यर्थियों के लिए उस सलाह की जिम्मेदारी लेने वाले वकील, जिसके बारे में कहा गया था कि प्रत्यर्थियों ने कार्य किया था-माना, अधिकारियों ने जानबूझकर या सोच समझकर न्यायालय के आदेशों के कार्यान्वयन की अवज्ञा नहीं की है-प्रत्यर्थियों को निर्णय को पूरी भावना से लागू करने के लिए समय दिया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक वं अन्य बनाम काशीनाथ खेर एवं अन्य [1996] 8 एस. सी. सी. 762, निर्णय को लागू करने के लिए दिए गए निर्देश।

सिविल मूल न्यायनिर्णयःअवमानना याचिका (सी) सं 207-208/1997

(अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 23 के तहत)

दुष्यंत दवे, निशा बागची और सुश्री इंदु मल्होत्रा याचिकाकर्ता की ओर से ।

शांति भूषण और आर. एन. केशवानी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से ।

आर. एफ. नरीमन, आर. वी. रंगम, के. समदानी, आर. एन. केशवानी, ए. वी. रंगम और ए. रंगानाधन प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

ये अवमानना याचिकाएं भारतीय स्टेट बैंक वं अन्य बनाम काशीनाथ खेर एवं अन्य [1996] 8 एस. सी. सी. 762 में इस न्यायालय के फैसले के गैर-अनुपालन के लिए दायर की गई हैं।याचिकाकर्ताओं की शिकायत का आधार यह है कि निर्णय में दिए गए विशिष्ट निर्देशों और सकारात्मक टिप्पणियों के बावजूद, प्रतिवादी ने निर्णय को लागू नहीं किया है। दूसरी ओर, उन्होंने फैसले से पहले स्थापित प्रावधानों की एक ही व्याख्या को एक बहाने के रूप में रखा है निर्णय का उल्लंघन किया अधिकारियों को पदोन्नत करने में प्रतिवादियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील शांति भूषण

एमएमजी स्केल III से एमएमजी स्केल II में पदोन्नति के उद्देश्य से, मानदंडों के अनुसार, पांच साल की गोपनीय रिपोर्ट और छह साल का मूल्यांकन रिपोर्टों को अनिवार्य रूप से 15 साल के अंतराल के बाद सी. आर. में लिया जाना एक असंभव काम होगा क्योंकि जिन अधिकारियों ने पदोन्नत होने वाले अधिकारियों के आचरण को देखा था, वे या तो सेवानिवृत्त हो गए होंगे या नहीं उपलब्ध हों होंगे , इस पृष्ठभूमि में उन्होंने अवमानना करने वालों को मौजूदा रिपोर्टों को देखने और उनके अनुसार विचार करने की सलाह दी थी पदोन्नति के नियमों के साथ; इसलिए, उन्होंने इस न्यायालय के निर्देशों पर विचार नहीं किया है।

निर्णय से यह देखा जाता है कि विशिष्ट और स्पष्ट निर्देश यह बताया गया है कि किस प्रकार और किसके द्वारा सी. आर. लिखी जानी चाहिए संबंधित होने चाहिए । यह है कि प्रतिवादियों को ऐसे डी अधिकारियों की पहचान करनी चाहिए जिन्हें ग्रामीण/अर्ध-शहरी सेवाओं का कार्य सौंपने का अवसर दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसका लाभ नहीं उठाया और ऐसे अधिकारियों को हटाने के लिए जिन्होंने अवसर का लाभ नहीं उठाया है, उन्हें सूची से हटा दिया जाएगा। और ऐसे अधिकारी जिन्होंने अवसर का लाभ उठाया लेकिन असाइनमेंट पर विचार नहीं कर सके, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं थी और जिन्होंने ने लाइन असाइनमेंट पूरा कर लिया है, उन्हें समूह ए में शामिल किया जाना चाहिए और उनके

मामलों को आगे पदोन्नति के लिए श्री एस. एस. परतोती ए. जी. एम. (व्यक्तिगत और मानव संसाधन विकास) द्वारा दायर हलफनामे के अनुसार आगे विचार किया जाना चाहिए, उन्होंने कहा है कि निर्देश के पहले भाग का पालन किया गया था और निर्देशों के दूसरे भाग के अनुपालन के लिए, वे एक ही औचित्य के साथ एक अलग form.ln सार के साथ आगे आए, उनका तर्क यह है कि इस दूरी पर ए. सी. आर. लिखना व्यावहारिक नहीं है । उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने वकील की सलाह प्राप्त की है और विश्वास पर विचार किया है। श्री शांति भूषण ने उक्त सलाह पर स्वयं जिम्मेदारी ली है और उन्होंने निवेदन किया कि निर्णय की भलि भति उसके अनुरूप समझा है । इसलिए प्रतिवादी ने उन पर कार्य किया है ।

श्री शांति भूषण द्वारा ली गई व्यक्तिगत जिम्मेदारी, बार में उनकी स्थिति और उनकी निष्पक्षता और स्पष्ट स्वीकारोक्ति को देखते हुए, हम उनके कथन को स्वीकार करते हैं। हमने को यह नहीं लगता कि अधिकारियों ने जानबूझकर या जानबूझकर के आदेशों के कार्यान्वयन की अवज्ञा की है, अब प्रतिवादियों को अभ्यास करने और निर्णय को पूरी भावना से लागू करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाता है।

तदनुसार अवमानना याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है। अवमानना याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

आर. पी.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता मयंक चौधरी द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।